निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ राज0

बइजलास श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा R.A.S., उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

प्रकरण संख्याः– 118/2015 दिनांकः– 1/6/17

उनवानः–

1– चांदमल पिता वरदा जी जाति माली निवासी छोटीसादडी के बजाए–
1/1– टमाबाई पत्नि चांदमल जी जाति माली निवासी छोटीसादडी
1/2– मुकेश पिता चांदमल जी जाति माली निवासी छोटीसादडी
1/3– सरोज पिता चांदमल जी जाति माली निवासी छोटीसादडी

––वादीगण

:: बनाम ::

1– भेरूलाल पिता वरदा जी जाति माली निवासी छोटीसादडी मृतक के बजाए–
1/1– ओमप्रकाश पिता भंवरलाल जी जाति माली निवासी छोटीसादडी
1/2– राजमल पिता भंवरलाल जी जाति माली निवासी छोटीसादडी
1/3– मंजूबाई पिता भंवरलाल जी जाति माली निवासी छोटीसादडी
1/4– गुड्डीबाई पिता भंवरलाल जी जाति माली निवासी छोटीसादडी
2– बद्रीलाल पिता वरदा जी जाति माली निवासी छोटीसादडी
3– शांतिलाल पिता वरदा जी जाति माली निवासी छोटीसादडी
4– हेमा पिता काशीराम जी जाति माली निवासी छोटीसादडी मृतक के बजाए–
4/1– मोहनलाल पिता हेमा जी जाति माली नि0 छोटीसादडी मृतक के बजाए–
4/1/1– नारू पिता मोहनलाल जी जाति माली निवासी छोटीसादडी
4/1/2– शम्भू पिता मोहनलाल जी जाति माली निवासी छोटीसादडी
4/1/3– दिनेश पिता मोहनलाल जी जाति माली निवासी छोटीसादडी
4/1/4– गणपत पिता मोहनलाल जी जाति माली निवासी छोटीसादडी
4/1/5– श्यामा पिता मोहनलाल जी जाति माली निवासी छोटीसादडी
5– मांगीलाल गोदीपुत्र दोला जी जाति माली निवासी छोटीसादडी
6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ

––प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 88, 53, 209 रा0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि :–

1– वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा राजूखेडा प0स0 गणेशपुरा में आ0नं0 130 रकबा 1.36 हैक्टेयर व आ0नं0 136 रकबा 0.57 हैक्टेयर कुल कीता 2 कुल रकबा 1.93 हैक्टेयर स्थित हैं ताईद में नकल जमाबन्दी पेश हैं व इसी प्रकार वाके मौजा छोटीसादडी में आ0नं0 993 रकबा 0.45 हैक्टेयर आराजी स्थित हैं।

2– यह कि मौजा छोटीसादडी में आराजी नं0 491 रकबा 0.68 हैक्टेयर मय आ0चा0 नं0 487 व आ0नं0 993 रकबा 0.45 हैक्टेयर स्थित हैं ताईद में नकल

4— यह कि वाद की चरन संख्या 4 व 5 में वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण व प्रतिवादी गन का हिस्सा अंकित किया गया हैं।

5— यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण की मौजा छोटीसादडी व मौजा राजूखेडा की आराजीयात को अपने-अपने खाते में अलग कराने हेतु बंटवारा कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने आनाकानी कर झूंठे आश्वासन देते रहे व बाद में मना कर दिया इस हेतु वाद बंटवारा करने हेतु प्रस्तुत हुआ।

6— यह कि प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी कि कुलिया आराजीयात पर बुवाई व काश्त हम ही करेगें वादी को आराजीयात पर न आने बावत् भी धमकी दी मना करने पर भी जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं जबकि विवादग्रस्त आराजीयात में वादीगण का 1/3 हिस्से में से 1/6 हिस्सा हैं जिस पर वादीगण काबिज हो काश्त करने का अधिकारी हैं व वादीगण अपने हिस्से मुताबिक आराजी पर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से भी पाबन्द कराने के अधिकारी हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किये गये। बाद सुनवाई दिनांक 27-07-2007 को लोक अदालत में आदेश सुनाया जाकर अंतिम डिक्री जारी की गई।

वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151-152 व्य0प्र0सं0 का दिनांक 30-07-2013 को पेश कर कथन किया कि वाद माननीय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा केम्प छोटीसादडी अन्तर्गत धारा 188, 88, 53 रा0का0अधि0 का चला व दिनांक 27-07-2007 को डिक्री किया गया व दिनांक 22-6-2007 को प्राथमिक डिक्री किया गया। कि मुताबिक आदेश आराजीयात में से वाके मौजा राजूखेडा की आराजी का बंटवारा कर दिया गया व सेवन से मौजा छोटीसादडी की आराजी का बंटवारा नहीं किया गया व पत्रावली फैसल कर दी गयी। कि वादीगण द्वारा निर्णय व डिक्री का प्रार्थना पत्र जिला रिकार्ड रूम चित्तौड पेश किया तो जानकारी मिली की पत्रावली में मात्र प्राथमिक डिक्री ही बनायी गयी व अन्तिम डिक्री नहीं बनायी गयी ऐसवी सूरत में रिकार्ड रूम से पत्रावली तलब की जाना जरूरी हैं।

वकील वादी का कथन हैं कि प्रकरण संख्या 327/03 निर्णय डिक्री दिनांक 22-06-2007 मौजा राजूखेडा, छोटीसादडी की प्राथमिक डिक्री पारित की गयी थी लेकिन फर्द बंटवारा रिपोर्ट मात्र राजूखेडा की पेश होने पर मौजा राजूखेडा की अंतिम डिक्री पारित की गई। प्राथमिक डिक्री दिनांक 22-06-2007 अनुसार मौजा छोटीसादडी के फर्द बंटवारा रिपोर्ट पेश नहीं हुई हैं को तलब की जाकर अंतिम डिक्री पारित की जावे।

मी0नं0 327/03 प्राथमिक डिक्री दिनांक 22-06-2007 का अवलोकन किया जिसमें प्रकरण मौजा राजूखेडा, छोटीसादडी की भूमि का विभाजन किये जाने की डिक्री पारित की हैं कि लेकिन फर्द बंटवारा मौजा राजूखेडा का ही पेश होने पर अंतिम डिक्री दिनांक 27-07-2007 को जारी की गई हैं। प्राथमिक डिक्री अनुसार मौजा छोटीसादडी की अंतिम डिक्री शेष रह गयी हैं। जिससे वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री दिनांक 22-06-2007 अनुसार मौजा छोटीसादडी का फर्द बंटवारा रिपोर्ट तलब की गई।

दिनांक 06-04-2017 को वकील वादी ने 151 सी0पी0सी का प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार किया जाकर संशोधित प्राथमिक डिक्री जारी होकर तहसीलदार छोटीसादडी को भेजी गई। तहसीलदार छोटीसादडी ने प्राथमिक डिक्री अनुसार फर्द बंटवारा तैयार कर दिनांक 25-04-2017 को पेश किया जिसमें पटवार हल्का छोटीसादडी द्वारा मौजा छोटीसादडी की वादग्रस्त आराजी का प्राथमिक डिक्री अनुसार एवं राजस्व रिकार्ड अनुसार फर्द बंटवारा निम्न प्रकार तैयार किया गया जिसमें :-

2– आराजी नं0 993 के मध्य में 0.15 हैक्टेयर में ओमप्रकाश, राजमल, मंजूबाई, गुड्डीबाई पिता भेरूलाल 1/4, बद्रीलाल, शांतिलाल पिता वरदा 1/2, मुकेश, सरोज पिता चांदमल, टमाबाई पत्नि चांदमल 1/28, गोविन्द पिता ओमप्रकाश नरेडी, शीतल कुमार पिता राजमल नलवाया 3/14 के नाम तथा

3– आराजी नं0 993 के पश्चिम में रकबा 0.15 हैक्टेयर में नारू, शंभू, दिनेश, गणपत, श्यामलाल पिता मोहनलाल 14/45, बाबूलाल, गीताबाई पिता हेमा 28/45, बंशीलाल पिता मोडीराम कुमावत 1/15 के नाम तथा हेमा के हिस्से में से 703 वर्गगज भूमि व बंशीलाल के हिस्से में से 117 वर्ग गज भूमि आवासीय नगरपालिका छोटीसादडी के नाम दर्ज। इसी प्रकार

4– आराजी नं0 491 के उत्तर में 0.16 हैक्टेयर मुकेश, सरोज, पिता चांदमल, टमाबाई पत्नि चांदमल माली के नाम,

5– आराजी नं0 491 के उत्तर मध्य में 0.16 हैक्टेयर शांतिलाल पिता वरदा माली के नाम,

6– आराजी नं0 491 के दक्षिण मध्य में 0.16 हैक्टेयर ओमप्रकाश, राजमल, मंजूबाई, गुड्डीबाई पिता भेरूलाल माली के नाम,

7– आराजी नं0 491 के दक्षिण में 0.16 हैक्टेयर बद्रीलाल पिता वरदा माली के नाम,

8– आराजी नं0 491 के पश्चिम में 0.04 हैक्टेयर ओमप्रकाश, राजमल, मंजूबाई, गुड्डीबाई पिता भेरूलाल 1/4, बद्रीलाल, शांतिलाल पिता वरदा 1/2, मुकेश, सरोज पिता चांदमल, टमाबाई पत्नि चांदमल 1/4 हिस्सा सा0देह खातेदार के नाम तथा

9– आराजी नं0 487 रकबा 0.09 हैक्टेयर गे0मु0आ0चा0 में चंदा पिता रोडा माली 1/2, बापूलाल, विष्णुप्रसाद पिता हीरालाल 1/15, हीरालाल पिता कालूराम ब्राहमण 2/15, ओमप्रकाश, राजमल, मंजूबाई, गुड्डीबाई पिता भेरूलाल, बद्रीलाल, शांतिलाल पिता वरदा, मुकेश, सरोज पिता चांदमल, टमाबाई पत्नि चांदमल माली 1/3 सा0देह खातेदार के नाम फर्द बंटवारा तैयार किया गया।

फर्द बंटवारा पेश होने के पश्चात बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील वादी ने निवेदन किया कि फर्द बंटवारा जो तहसीलदार छोटीसादडी ने पेश किया उसी आधार पर अंतिम डिक्री जारी की जावे। अतः फर्द बंटवारानुसार वादी का हिस्सा प्रतिवादीगण से अलग किया जाकर फर्द बंटवारानुसार राजस्व रिकार्ड में वादी का हिस्सा पृथक से दर्ज कराने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख की नकलों का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार छोटीसादडी के द्वारा प्रस्तुत फर्द बंटवारा का गहनता से अवलोकन किया गया। उक्त फर्द बंटवारानुसार मौके पर जिन नम्बरान पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज हैं उन खसरा नम्बरों पर वादी एवं प्रतिवादी गण का फर्द बंटवारानुसार बंटवारा किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य व फर्द बंटवारा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में डिक्री किया जाता हैं कि वादी के हक में

प्रतिवादीगण खातेदार फर्द बंटवारा अनुसार काश्तकार के रूप में अमल दरामद किया जावे। अन्य प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता हैं कि वे वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी पैदा नहीं करें। इसी अनुसार डिक्री जारी की जाती हैं। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 1 – 6 – 17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ